राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 11वीं बैठक में लिये गये निर्णय

392

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 11वीं बैठक शिक्षा संकुल स्थित प्रशासनिक भवन के सभागार में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2013 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या 1 – निष्पादक समिति की दसवीं (दिनांक 18.01.2012 को आयोजित) बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन करना** दिनांक 18.01.2012 को आयोजित निष्पादक समिति की दसवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण एनेक्सर सं. 1 में दर्शाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	दसवी बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की कियान्विति का विवरण अनुमोदित किया गया। एजेण्डा के बिन्दू संख्या 3 में सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या 2 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना 2012–13 भारत सरकार को भेजने की प्रक्रिया एवं वार्षिक योजना का अनुमोदन** मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों, राज्य परियोजना मुख्यालय के सभी शाखा प्रभारियों द्वारा निर्धारित गतिविधियों तथा समस्त जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा तैयार की गई जिलेवार वार्षिक योजनाओं के आधार पर तैयार राज्य स्तर की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तथा इस योजना के तहत स्वीकृत गतिविधियों हेतु आवश्यक केंद्रांश की राशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाला वॉन्ड पत्र व ऑथोराईजेशन पत्र तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। इस वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का सार संक्षेप व कॉस्टिंगशीट एनेक्सर संख्या 2 पर संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इस वार्षिक योजना में अनावर्ती मदों के प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए हैं तथा विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में राशि की मांग करते समय प्रयोगशाला उपकरण मद में राशि की मांग उन्ही विद्यालयों में की गई है जिनमें कक्षा 9 व 10 हेतु समेकित विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध है अथवा गत वर्षो में इनके निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार पुस्तकालय हेतु पुस्तक क्रय करने हेतु भी राशि की मांग उन्ही विद्यालयों हेतु की गई है जिनमें पुस्तकालय कक्ष हैं अथवा निर्मित होने जा रहे हैं। उक्तानुसार तैयार वार्षिक योजना में से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधियों का विवरण एनेक्सर संख्या 2 ए पर संलग्न कर उक्तानुसार सम्पादित प्रक्रिया व वार्षिक योजना निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना 2012–13 को भारत सरकार को भेजने की प्रकिया एवं वार्षिक योजना की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3	**प्रस्ताव संख्या 3 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा ऑडिट रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही का अनुमोदन करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परिषद् का वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा ऑडिट रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा तथा अध्यक्ष निष्पादक समिति के अनुमोदन पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। ये वार्षिक प्रतिवेदन तथा ऑडिट रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ एनेक्सर 3 व 4 पर प्रस्तुत है।	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा ऑडिट रिपोर्ट को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
4	प्रस्ताव संख्या 4 – Schedule of power में से संभागीय अधिशाषी अभियंता की शक्तियों व दायित्वों को हटाना निष्पादक समिति की दिनांक 18.01.2012 को आयोजित 10वीं बैठक में लिये गये निर्णय तथा इस निर्णय की अनुपालना में परिषद् द्वारा जारी आदेश संख्या रामाशिप/जय/प्रशिक्षण एवं संस्थापन/फा–60300/2011/3349/दिनांक 16.02.2012 (एनेक्सर 1 एन पर संलग्न) के द्वारा सिविल शाखा में अधिशाषी अभियंता (जोनल) का पद समाप्त हो गया है। अतः Schedule of power में जहाँ भी अधिशाषी अभियंता (जोनल) शब्द आया है वहाँ से अधिशाषी अभियंता (जोनल) शब्द को Schedule of power में से हटाये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	Schedule of power में से संभागीय अधिशाषी अभियन्ता शब्द को हटाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	प्रस्ताव संख्या 5 – परिषद् के राज्य कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के मोबाईल व टेलिफोन बिलों के पुर्नभरण की राशि में वृद्धि करना वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य कार्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, मुख्यलेखाधिकारी तथा अधिशाषी अभियन्ता को मोबाईल व टेलिफोन बिलों के पुर्नभरण हेतु राशि रू. 1750/– प्रतिमाह तक पुर्नभरण किया जाना स्वीकृत है किन्तु पूरे राज्य में विभिन्न स्तरों पर बात करने तथा इंटरनेट का उपयोग करने में यह राशि कम पडती है। अतः इस राशि को बढाकर 2500/– रू. प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ तथा अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6	प्रस्ताव संख्या 6 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों को राज्य से बाहर प्रवास के दौरान विविध खर्चों का पुर्नभरण करना:– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के राज्य से बाहर यात्रा के दौरान फील्ड में रूकने पर होने वाले व्यय का पुर्नभरण सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत है जिनका विवरण परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है।	प्रस्ताव पर हुई चर्चा अनुसार राज्य सरकार के मापदण्ड अनुसार व्यय के पुर्नभरण के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
7	प्रस्ताव संख्या 7 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान की वित्तीय गतिविधियों में वित्तीय प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु **Manual on financial management and procurement for RMSA** के उपयोग की स्वीकृति प्रदान करना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वित्तीय गतिविधियों के संदर्भ मे Manual on financial management and procurement (MFMP) for RMSA जारी किया गया है। इसके अनुच्छेद क्रमांक 1, 2, 7, के अनुसार राज्यों द्वारा इस मैन्युअल को अनिवार्यतया लागू किया जाना है तथा इसके वित्तीय प्रावधान अन्य समस्त लेखा नियमों पर सर्वोपरि होंगे। अतः MFMP की प्रति एनेक्सर 6 पर संलग्न करते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु अन्य सभी लेखा नियमों के स्थान पर इस MFMP के प्रावधान तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों को लागू करने का प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु जारी Manual on financial management and procurement को राज्य सरकार के जीएफएण्डआर के संदर्भ में परीक्षण कर पत्रावली अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
8	प्रस्ताव संख्या 8 – परिषद् के राज्य मुख्यालय में स्वीकृत मुख्य लेखाधिकारी के पदनाम में परिवर्तन करना। परिषद् मुख्यालय में पूर्व स्वीकृत वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद को वर्तमान मे मुख्य लेखाधिकारी पद में क्रमोन्नत किया गया है तथा भविष्य में इस पद पर लेखा सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला में कार्यरत अधिकारी की नियुक्ति भी संभावित है। परिषद् स्तर पर मुख्य लेखा अधिकारी का पद ही लेखा व वित्त शाखा का सर्वोच्च पद है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इस स्तर के अधिकारियों का पदनाम नियंत्रक (वित्त) है। देश के अन्य राज्यों में भी इस पद का पदनाम नियंत्रक (वित्त) ही है। MHRD के साथ पत्र व्यवहार में मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी पदनाम से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत वरिष्ठ लेखाधिकारी के पदनाम में परिवर्तन कर इसे **'नियंत्रक (वित्त)'** का नया पदनाम देने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
9	**प्रस्ताव संख्या 9 – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित न्यायिक वादों में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिरक्षण/पैरवी करने हेतु स्थाई अधिवक्ता की नियुक्ति करना** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित न्यायिक वादों में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिरक्षण/पैरवी करने हेतु वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की तरफ से किसी भी अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित न्यायिक वादों में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिरक्षण/पैरवी करने हेतु जोधपुर पीठ तथा जयपुर पीठ हेतु पृथक–पृथक स्थायी अधिवक्ता (स्टेंडिंग कौंशिल) की नियुक्ति करते हुए स्थाई अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ता की लीगल फीस का भुगतान राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में विद्यमान आदेश यदि राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमोदित हो तो उक्त शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।
10	**प्रस्ताव संख्या 10** – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंजिनियरिंग शाखा से सम्बन्धित Schedule of Power में संशोधन करना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंजिनियरिंग शाखा में अधिशाषी अभियंता (जोनल) का पद समाप्त होने एवं सिविल कार्यों को गति देने हेतु जिला स्तर पर शक्तियों को प्रदान करने हेतु आशिंक संशोधन **परिशिष्ट–7** के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि Schedule of Power में संशोधन के प्रस्ताव पत्रावली पर वित्त विभाग को परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु भिजवाये जावें।
11	**प्रस्ताव संख्या 11 – सवाई माधोपुर जिले के बामनवास ब्लॉक के बालिका छात्रावास हेतु आवंटित स्थल राबाउमावि., पट्टीकलां बामनवास के स्थान पर राउमावि., बामनवास खुर्द में बनाया जाना का प्रस्ताव स्वीकृत करना** सवाई माधोपुर के बामनवास ब्लॉक में बालिका छात्रावास हेतु पूर्व में राबाउमावि., पट्टीकलां बामनवास में भूमि आवंटित की गई थी। इस स्थान पर निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संवेदक को कार्य आदेश जारी कर दिए गए थे किन्तु संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ करने पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। इस वजह से भूमि का विवाद उत्पन्न हो गया। प्रकरण जिला बालिका छात्रावास संचालन समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष रखे जाने पर उन्होंने छात्रावास हेतु स्थान को परिवर्तित करते हुए छात्रावास को राउमावि., बामनवास खुर्द में बनाने के निर्देश दिए सम्बन्धित	समिति द्वारा सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास ब्लॉक के बालिका छात्रावास हेतु रा.उ.मा.वि बामनवास खुर्द को निर्माण हेतु अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिय गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	दस्तावेज परिशिष्ट'–8 पर संलग्न है। राउमावि., बामनवास खुर्द की विद्यालय विकास समिति द्वारा भी छात्रावास बनाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है तथा स्थानिय विधायक द्वारा भी यह छात्रावास राउमावि., बामनवास खुर्द में बनाने की अभिशंषा की गई है। अतः बामनवास ब्लॉक का छात्रावास राबाउमावि., पट्टीकलां के स्थान पर राउमावि., बामनवास खुर्द में बनाए जाने का प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	395
12	**प्रस्ताव संख्या 12** – परिषद् के राज्य कार्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक जिनको वर्तमान में परिषद् द्वारा टेलीफोन/मोबाईल व्यय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनके लिए निम्नलिखित अनुसार मासिक टेलीफोन/मोबाईल व्यय का भुगतान परिषद् द्वारा किए जाने बाबत् प्रस्ताव निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:– **परिषद् के राज्य कार्यालय हेतु:–** क्र. सं. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | संख्या | प्रस्तावित राशि प्रतिमाह (रु.) 1. | सहायक निदेशक | 6 | 700/– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर कार्यरत सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को जिला प्रभारी अधिकारी एवं मॉनिटरिंग/ निरीक्षण/अवलोकन आदि कार्यों के लिए कार्यालय समय के बाद जिलों से दूरभाष पर सम्पर्क में रहना/करना पडता है। अतः सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को 700/– रु. मासिक मोबाईल/टेलीफोन चार्जेज के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। परिषद मुख्यालय पर सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के छह अधिकारियों को इस हेतु 700/– रु. मासिक का भुगतान करने पर अनुमानित वार्षिक व्यय भार 50400/– रु. परियोजना पर आएगा।	समिति द्वारा सहायक निदेशक एवं सहायक निदेशक पद की न्यूनतम ग्रेड–पे पाने वाले समकक्ष अधिकारी को 1 अप्रेल 2013 से उक्त पुर्नभरण किए जाने का अनुमोदन किया गया।
13	**प्रस्ताव संख्या 13** – राज्य स्तर पर समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की जाती है। मॉडयूल लेखन सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण आदि आवासीय प्रकृति के भी होते है। दिनांक 09.04.10 को आयोजित निष्पादक परिषद की IVth बैठक में आवास व्यवस्था हेतु 200/– प्रति संभागी प्रतिदिन का प्रावधान है तथा वैन्यू के लिये कोई प्रावधान नही है। किन्तु उक्त दरों पर कोई भी राजकीय अथवा निजी भवन उपलब्ध नही होता है। केपीटन सिटी होने के कारण प्रायः वैन्यू आसानी से उपलब्ध भी नही होता है। अतः राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के लिये राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों को उनकी निर्धारित दरों पर उपलब्धता के आधार पर उपयोग में लेने का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय संस्थानों की सूची – 1. राज्य स्काउट गाईड, प्रशिक्षण केन्द्र जगतपुरा जयपुर। 2. राजस्थान सहकारी प्रबन्धन संस्थान, (राईसे) जयपुर। 3. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) आलाना डूंगरी, जयपुर। 4. इन्दिरा गांधी पंचायती राज्य संस्थान, जयपुर। 5. हा.मा. लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।	प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा संस्थानों की दरों की वार्षिक आधार पर गणना कर अनुमानित व्यय का आकलन किया जावे एवं तुलनात्मक विवरण पत्रावली पर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावे।

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	6. कृषि प्रबन्धन एवं शिक्षण संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर। 7. यूथ हॉस्टल जयपुर। 8. राज्य संदर्भ केन्द्र झालाना डूंगरी जयपुर आदि। उपरोक्त प्रस्ताव निष्पादक परिषद के सम्क्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	

396

2/7/13

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

परिशिष्ट–1

निष्पादक समिति की 11वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

दिनांक : 15.03.2013

397

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद
1.	श्रीमती वीनू गुप्ता	अक्ष्यक्ष निष्पादक समिति एवं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
2.	श्री भास्कर ए सावन्त	शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3.	डॉ. वीना प्रधान	निदेशक (मा.शि.) एवं राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
4.	श्री एल. एन. सोनी, उप सचिव वित्त (व्यय–1)	प्रतिनिधि–प्रमुख शासन सचिव,वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5.	श्री बी. के. दोषी	निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा,शिक्षा संकुल, जयपुर
6.	श्री वेद प्रकाश	सचिव, राजस्थान राज्य पाठय पुस्तक मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर
7.	श्री मधु सोरल, संयुक्त निदेशक	प्रतिनिधि–निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
8.	श्री बसन्त कुमार, विभागाध्यक्ष, मूल्यांकन विभाग	प्रतिनिधि–निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी.,उदयपुर
9	डॉ. मन्डन शर्मा	निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डा. राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, जयपुर
10.	श्री अशिन शर्मा, परिवीक्षा अधिकारी	प्रतिनिधि–आयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
11.	श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ सहायक निदेशक	प्रतिनिधि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
12.	श्रीमती चित्रा बसल	सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

निष्पादक समिति की 11वीं बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों की सूची

1.	श्रीमती सीमा सिंह	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
2.	श्री विश्वजीत सिंह पुरावत	मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3.	श्री हीरालाल अहीर	अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
4.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	उपनिदेशक–योजना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
5.	श्रीमती ममता दाधिच	उपनिदेशक–प्रशिक्षण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
6.	श्री भूप सिंह यादव	उपनिदेशक–बा.छा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
7.	डॉ. रचना शर्मा	उपनिदेशक–वि.वा.अ. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
8.	श्री रविन्द्र कुमार लाटा	उपनिदेशक–मॉनिटरिंग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
9.	श्री ओ.पी.सोनी	सहायक अभियन्ता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
10.	श्री वीर सिंह मीणा	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
11.	डॉ. वालेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
12.	श्री गोविन्द राम शर्मा	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
13.	श्री दीपक भारद्वाज	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
14.	श्री विक्रम सिंह	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर